भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 626

उत्तर देने की तारीख : 28.11.2024

सीजीटीएमएसई

626 **श्री जी. कुमार नायकः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत इसकी स्थापना होने के बाद से लाभार्थियों को दी गई संचयी ऋण गारंटी का राज्य-वार और कर्नाटक का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों के चयन हेतु पात्रता संबंधी दिशानिर्देश क्या हैं तथा राज्यों में चयन के लिए विशिष्ट मानदंड या प्रक्रियाएं क्या हैं।

(ग) क्या सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य नवीन तंत्रों के माध्यम से एमएसएमई को आसानी से ऋण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सीजीटीएमएसई योजना के आवेदक अपनी शिकायतें और अन्य मुद्दे किन विशिष्ट चैनलों या पोर्टलों के माध्यम से दर्ज कराते हैं तथा इन शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए मौजूद क्या तंत्र हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की शुरुआत से दिनांक 31.10.2024 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रदान की गई संचयी क्रेडिट गारंटियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-1** पर दिया गया है। सीजीटीएमएसई की शुरुआत से दिनांक 31.10.2024 तक सीजीटीएमएसई के तहत कर्नाटक में पात्र लाभार्थियों को दी गई संचयी क्रेडिट गारंटियों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-2** पर दिया गया है।

(ख) : सीजीटीएमएसई अपने सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए बिना किसी कोलेटरल सुरक्षा और तृतीय पक्ष की गारंटी के ऋण गारंटी प्रदान करता है। सीजीटीएमएसई की सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम लाभार्थी के चयन, मंजूरी, संवितरण, अनुवर्ती कार्रवाई और एमएलआई द्वारा ऋण पुनर्भुगतान के संबंध में कोई शर्त निर्धारित नहीं करती है। ये संबंधित एमएलआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित होते हैं।

(ग) : एमएसएमई की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य नवीन तंत्रों के माध्यम से एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए, व्यापार प्राप्य ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स), एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, कई वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है। अपने व्यापार प्राप्तियों को नकदी में परिवर्तित करके अपनी कार्यशील पूंजी को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों की टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है।

(घ) : शिकायतें सीधे सीजीटीएमएसई में या एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से डाक/मेल द्वारा प्राप्त की जाती हैं और उनका उचित समाधान किया जाता है।

*****

अनुबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 626 जिसका उत्तर दिनांक 28.11.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-1

शुरुआत से दिनांक 31.10.2024 तक प्रदान की गई राज्य/संघ राज्य-वार संचयी क्रेडिट गारंटी			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,225	500.88
2	आंध्र प्रदेश	7,78,752	22,704.08
3	अरुणाचल प्रदेश	11,858	1,044.72
4	असम	2,50,949	15,563.70
5	बिहार	4,56,300	28,882.66
6	चंडीगढ़	24,708	2,502.87
7	छत्तीसगढ	1,45,697	11,376.62
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4,933	1,078.12
9	दिल्ली	1,83,423	31,045.60
10	गोवा	37,095	3,097.32
11	गुजरात	4,66,631	63,950.78
12	हरियाणा	2,20,325	28,311.30
13	हिमाचल प्रदेश	1,28,898	9,345.23
14	जम्मू और कश्मीर	2,92,443	10,190.87
15	झारखंड	2,50,286	21,831.44
16	**कर्नाटक**	**7,26,151**	**59,651.08**
17	केरल	4,69,835	20,674.77
18	लद्दाख	1,885	228.95
19	लक्षद्वीप	578	18.31
20	मध्य प्रदेश	4,75,372	34,972.45
21	महाराष्ट्र	7,70,816	90,376.07
22	मणिपुर	16,635	843.18
23	मेघालय	17,025	1,234.10
24	मिजोरम	9,644	552.58
25	नागालैंड	16,945	1,022.15
26	ओडिशा	3,63,064	24,440.97
27	पुडुचेरी	15,259	925.20
28	पंजाब	3,18,164	27,384.85
29	राजस्थान	4,24,628	32,184.52
30	सिक्किम	6,689	447.28
31	तमिलनाडु	7,92,908	58,911.05
32	तेलंगाना	2,35,612	22,436.32
33	त्रिपुरा	31,175	1,492.25
34	उत्तर प्रदेश	11,61,766	76,997.76
35	उत्तराखंड	1,29,340	8,604.00
36	पश्चिम बंगाल	5,27,332	43,145.26
	कुल	**97,68,346**	**7,57,969.33**

अनुबंध-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 626 जिसका उत्तर दिनांक 28.11.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-2

शुरुआत से दिनांक 31.10.2024 तक प्रदान की गई जिला-वार संचयी क्रेडिट गारंटी			
क्र.सं.	**जिला**	**गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)**
1	बागलकोट	36,238	2,497.95
2	बेलगावी	44,329	2,708.08
3	बेल्लारी	16,790	1,118.09
4	बेंगलुरु (बैंगलोर) ग्रामीण	28,990	4,424.24
5	बेंगलुरु (बैंगलोर) शहरी	1,93,093	25,604.80
6	बीदर	7,883	427.29
7	चामराजनगर	3,611	167.60
8	चिक्कमगलुर	13,512	603.43
9	चिक्कबल्लपुर	7,598	462.66
10	चित्रदुर्ग	8,736	393.28
11	दक्षिण कन्नड़	67,680	3,795.96
12	दावणगेरे	13,711	847.63
13	धारवाड़	30,496	1,910.19
14	गडग	9,113	377.69
15	हसन	14,442	761.27
16	हावेरी	11,836	613.86
17	कलबुर्गी	13,941	760.47
18	कोडागू	9,410	446.34
19	कोलार	10,522	700.31
20	कोप्पल	5,626	324.19
21	मंड्या	9,814	584.69
22	मैसूर	26,907	2,159.64
23	रायचूर	7,633	506.27
24	रामानगर	6,884	438.42
25	शिमोगा	25,456	1,221.87
26	तुमकुर	16,045	1,221.45
27	उडुपी	43,787	2,414.71
28	उत्तर कन्नड़	25,518	1,158.05
29	विजयपुरा	13,966	807.38
30	यादगीर	2,584	193.26
	कुल	**7,26,151**	**59,651.08**